

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

पत्रांक:-कोविड-19/2022/

दिनांक 07/01/2022

—:आदेश:—

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या:-2325/पांच-5-2021, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के द्वारा उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम-2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2020) की धारा 3 द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2022 तक या कोई अग्रतर ओदश जारी किये जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रवृत्त रहेगी।

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा अनुभाग-5 के शारानादेश संख्या:-592/पांच-5-2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 द्वारा हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज सफेदाबाद, बाराबंकी को एल-2 एवं मेयो मेडिकल कालेज गदिया, बाराबंकी को एल-3 के रूप में चिन्हित किया गया है।

वर्तमान में जनपद बाराबंकी एवं आस-पारा के जनपदों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है।

कोविड पॉजीटिव गम्भीर मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज सफेदाबाद बाराबंकी को एल-2 एवं मेयो मेयो मेडिकल कालेज गदिया, बाराबंकी को कोविड चिकित्सालय एल-3 के रूप में दिनांक 06.01.2022 से उ0प्र0 चिकित्सा अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-2396/ पांच-5-2021 दिनांक 03 जनवरी, 2022 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

उपरोक्त दोनों चिकित्सा संस्थानों को कोविड चिकित्सालय के रूप में संचालित करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी के द्वारा आवश्यक समन्वय किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।

(डा० आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

पत्रांक:-कोविड-19/2022/ 399-14
प्रतिलिपि:-निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित। 2

तददिनांक

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4. आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
4. डीन/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, हिन्द/मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी को उपरोक्तानुसर अनुपालनार्थ
5. अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, बाराबंकी।
7. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी कोविड-19।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला/सिरौलीगौसपुर 100 शैष्यायुक्त चिकित्सालय बाराबंकी।
9. समस्त अधीक्षक, सामु0स्वा0के0, बाराबंकी।
10. श्री के0के0 गुप्ता, वायलोजिस्ट, बाराबंकी।
11. प्रभारी अधिकारी एकीकृत कोविड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, बाराबंकी।


जिलाधिकारी,
बाराबंकी।